

पर्यटन निदेशालय उत्तराखण्ड/

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्

पं० दीनदयाल उपाध्याय पर्यटन भवन, गढ़ीकैंट, देहरादून।

दूरभाष: 0135-2559998, फैक्स- 0135-2559988.

संख्या:- /2-2-का0-833(स्था0)/2024

दिनांक:- 06 / 07 / 2024

—:कार्यालय आदेश:—

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की विविध अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05.01.2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 एवं कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)/E-33080 दिनांक 14.03.2024 एवं शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 28 जून, 2024 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु निर्धारित व्यवस्थान्तर्गत पर्यटन निदेशालय/उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत अधोलिखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में वर्णित उनके वर्तमान तैनाती स्थान से तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित कर स्तम्भ-5 में अंकित कार्यालयों में एतद्वारा तैनात किया जाता है:-

1. मिनिस्ट्रीयल संवर्ग:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती कार्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री धर्मानन्द जोशी	वरिष्ठ सहायक	ज़िला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय, ऊधमसिंह नगर	ज़िला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय, बागेश्वर	(सुगम से दुर्गम) जनहित में।
2	श्री सुन्दर सिंह बोरा	-तदैव-	ज़िला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय, बागेश्वर	ज़िला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय, ऊधमसिंह नगर	(दुर्गम से सुगम) जनहित में।

2. पर्यटन अधीनस्थ सेवा संवर्ग:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती कार्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री जयेन्द्र सिंह पटवाल	सहायक स्वागती	ज़िला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय, चम्पावत	ज़िला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय, देहरादून	(दुर्गम से सुगम) जनहित में।

- कार्य मुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही वास्तविक यात्रा काल/अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का उपभोग कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करने से पूर्व किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिकों का आगामी माह का वेतन अधिनियम की धारा-22 के प्राविधानों के अनुसार नवीन तैनाती के कार्यालय से ही आहरित किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सांरगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु आदेश निर्गत होने के 03 दिन के भीतर नियमानुसार प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

ह०/ (सचिन कुर्वे)
निदेशक पर्यटन/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

पृ०प०स०:- 1874 (1)/2024/समदिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मा० पर्यटन मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल।
4. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर/बागेश्वर/चम्पावत/देहरादून।
5. मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर/बागेश्वर/चम्पावत/देहरादून।
6. आहरण वितरण अधिकारी, पर्यटन मुख्यालय, देहरादून।
7. आहरण वितरण अधिकारी, पर्यटन कार्यालय ऊधमसिंह नगर/बागेश्वर/चम्पावत/देहरादून।
8. समस्त अधिकारी, पर्यटन मुख्यालय।
9. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर/बागेश्वर/चम्पावत/देहरादून।
10. जिला पर्यटन विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर/बागेश्वर/चम्पावत/देहरादून।
11. सम्बन्धित कार्मिक के नाम से-(.....)।
12. सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली।
13. आदेश पत्रिका।

(कर्नल अश्विनी पुण्डीर)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
कार्यालयाध्यक्ष।

पर्यटन निदेशालय उत्तराखण्ड

पं० दीनदयाल उपाध्याय पर्यटन भवन, गढ़ीकैंट, देहरादून।

दूरभाष: 0135-2559698, फैंक्स- 0135-2559988,

संख्या:- /2-2-833 (स्था०)/2024

दिनांक:- 06/07/2024

--:कार्यालय आदेश:-

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की विविध अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05.01.2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 एवं कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)/E-33080 दिनांक 14.03.2024 एवं शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 28 जून, 2024 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु अधिनियम की धारा-13 में दी गयी व्यवस्थानुसार पर्यटन निदेशालय के अधीनस्थ कार्यालय में कार्यरत अधोलिखित कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में वर्णित उनके वर्तमान तैनाती स्थान से तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित कर स्तम्भ-5 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा तैनात किया जाता है:-

स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-13 के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर:-

क्र० सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का कार्यालय	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती कार्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री रमेश प्रसाद सेमवाल	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय, पौड़ी	पर्यटन मुख्यालय देहरादून।	महानिदेशक/अध्यक्ष, राज्य विकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण-पत्र की अनुशंसा के क्रम में अनुरोध के आधार पर।

- कार्य मुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही वास्तविक यात्रा काल/अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time), का उपभोग कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करने से पूर्व किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक का आगामी माह का वेतन अधिनियम की धारा-22 के प्राविधानों के अनुसार नवीन तैनाती के कार्यालय से ही आहरित किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारंगमित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु आदेश निर्गत होने के 03 दिन के भीतर नियमानुसार प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

ह०/-

(सचिन कुर्वे)

निदेशक पर्यटन/

मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

पू०प०स०:- 1875 (1)/2024/समदिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- वरिष्ठ निजी सचिव, मा० पर्यटन मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- सचिव पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- जिलाधिकारी, पौड़ी।
- मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी।
- आहरण वितरण अधिकारी, पर्यटन मुख्यालय, देहरादून।
- समस्त अधिकारी, पर्यटन मुख्यालय।
- कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- जिला पर्यटन विकास अधिकारी, पौड़ी।
- सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी नाम से- (.....)।
- सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली।
- आदेश पंजिका।

(कर्नल अश्विनी पुण्डरी)

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
कार्यालयाध्यक्ष।

पर्यटन निदेशालय, उत्तराखण्ड /

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्

प० दीनदयाल उपाध्याय पर्यटन भवन, गढ़ीकैंट, देहरादून।

दूरभाष: 0135-2559898, फ़ैक्स- 0135-2559988,

संख्या:- /2-2-का0-833(स्था0)/2024

दिनांक:- 06 / 07 / 2024

-:कार्यालय आदेश:-

पर्यटन निदेशालय/उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के अधीनस्थ कार्यालय में कार्यरत अधोलिखित कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में वर्णित उनके वर्तमान तैनाती स्थान से तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित कर स्तम्भ-5 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा तैनात किया जाता है:-

कार्य व्यवस्थान्तर्गत:-

क्र० सं०	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती कार्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री बलवन्त सिंह कपकोटी	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	साहसिक खेल अधिकारी कार्यालय भीमताल (नैनीताल)	पर्यटन मुख्यालय, देहरादून	जनहित में।

- कार्य मुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (श्रवपदपदह जपउम) का उपभोग नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही वास्तविक यात्रा काल/अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का उपभोग कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करने से पूर्व किसी प्रकार का अंकाश देय नहीं होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिकों का आगामी माह से वेतन नवीन तैनाती के कार्यालय से आहरित किया जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

ह०/-

(सचिव कुर्वे)

निदेशक पर्यटन /

मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

पू०प०स०:- 1876 (1)/2024/समदिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- वरिष्ठ निजी सचिव, मा० पर्यटन मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- सचिव पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- आयुक्त कुंमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- जिलाधिकारी, नैनीताल।
- मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल।
- आहरण वितरण अधिकारी, पर्यटन मुख्यालय, देहरादून।
- आहरण वितरण अधिकारी, नैनीताल।
- समस्त अधिकारी, पर्यटन मुख्यालय।
- कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
- जिला पर्यटन विकास अधिकारी, नैनीताल।
- सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी नाम से-(.....)।
- सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली।
- आदेश पंजिका।

(कर्नल अश्विनी पुण्डीर)

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
कार्यालयाध्यक्ष।

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद

पं० दीनदयाल उपाध्याय पर्यटन भवन,

(निकट- ओ०एन०जी०सी० हैलीपैड) निम्बूवाला, गढ़ीकैन्ट, देहरादून)

दूरभाष: 0135-2559998, E-mail, tourismkarmik@gmail.com

संख्या- /2-2-812/2023-24

देहरादून: दिनांक: 06/07/2024

-:कार्यालय आदेश:-

कार्यालय आदेश संख्या-8675/2-2-का०/812/2023 दिनांक 12.03.2024 द्वारा उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून से चयनित एवं परिषद मुख्यालय देहरादून में नव नियुक्त सहायक स्वागती (वेतन मैट्रिक्स लेवल-02 रु० 19900-63200) को निम्नानुसार जनपदीय कार्यालयों में तैनात किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	नवीन तैनाती का कार्यालय
1	2	3	4
1	श्री आशीष भट्ट	सहायक स्वागती	जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय पिथौरागढ़
2	श्री हेमन्त तोपाल	सहायक स्वागती	जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय चम्पावत
3	श्री शुभम सेमवाल	सहायक स्वागती	पर्यटक सूचना केन्द्र जोशीमठ (चमोली)

- उपरोक्त कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर नवीनतम तैनाती स्थल/कार्यालय पर अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- कार्य मुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही वास्तविक यात्रा काल/अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining Time) का उपभोग कर सकेंगे।
- नवीन तैनाती स्थल/कार्यालय पर योगदान करने से पूर्व किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

50/-
(सचिन कुर्वे)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

प०प०सं० 1877 (1)/समदिनांकित, 2024।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद देहरादून।
- जिलाधिकारी, पिथौरागढ़/चम्पावत/चमोली।
- मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़/चम्पावत/चमोली।
- निदेशक वित्त, पर्यटन मुख्यालय, देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/चम्पावत/चमोली।
- समस्त अधिकारी, पर्यटन मुख्यालय देहरादून।
- आहरण वितरण अधिकारी पर्यटन मुख्यालय देहरादून।
- जिला पर्यटन विकास अधिकारी, पिथौरागढ़/चम्पावत/चमोली।
- सम्बन्धित कार्मिक के नाम से-(.....)।
- सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली।
- आदेश पंजिका।

(कर्मल अश्विनी पुण्डीर)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
कार्यालयाध्यक्ष।